पत्रांक–2/नि०–14/2019– 1494(2)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

प्राचार्य,
पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/
दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय।

पटना, दिनांक– 08/08/2019

विषय :– **पी०जी० डिप्लोमा/डिग्री उत्तीर्ण छात्रों को राज्य में तीन वर्षों की अनिवार्य सेवा लिए जाने हेतु वांछित सूचना विहित प्रपत्र मे उपलब्ध कराने के संबंध मे।**

प्रसंग :– **विभागीय पत्रांक–1297(2), दिनांक–11.07.2019**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध मे कहना है कि राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविधालयो से पी०जी० उत्तीर्ण छात्रों को राज्य में तीन वर्षो की अनिवार्य सेवा देने हेतु दिशा–निर्देश जारी किया गया था तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्राचार्य से विहित प्रपत्र में वांछित सूचना की भी माँग की गयी थी। उक्त प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा यह निर्णय लिया था कि पी०जी० डिप्लोमाधारी छात्रो को साामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद के विरूद्ध तथा पी०जी० डिग्रीधारी छात्रो को विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद के विरूद्ध विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में नियोजित किया जा सकेगा।

2. उल्लेखनीय है कि उक्त विभागीय निर्णय के विरूद्ध पी०जी० डिप्लोमा उत्तीर्ण कतिपय छात्रों द्वारा आपत्ति दर्ज की गई तथा विभाग में उपस्थित होकर एवं आवेदन देकर पी०जी० डिप्लोमाधारी छात्रों को भी विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियोजित करने हेतु उनके द्वारा अनुरोध किया गया।

3. पी०जी० डिप्लोमाधारी छात्रों के उक्त अनुरोध के आलोक मे मामले की पुनः समीक्षा की गई तथा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली–2014 की कंडिका सं०–3(1) द्वारा विशेषज्ञ उप संवर्ग मे नियुक्ति के लिए स्नाकोत्तर डिग्री के साथ डिप्लोमा/डी०एन०बी० को भी मान्यता दी गई है। अतः उक्त आलोक में पी०जी० डिप्लोमाधारी छात्रों को भी विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद के विरूद्ध ही तीन वर्षो की अनिवार्य सेवा लेने हेतु नियोजित करने का निर्णय लिया गया।

4. वर्णित स्थिति में उपर्युक्त मामले से संबंधित पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक–1297(2), दिनांक–11.07.2019 की कंडिका सं०–02 को निम्नांकित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है:–

"अग्रेतर उक्त संबंध में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि पी०जी० डिप्लोमा/डिग्री उत्तीर्ण छात्रों को विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियोजित किया जा सकेगा परन्तु डिप्लोमाधारी छात्रो का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को छोडकर अन्य चिकित्सा संस्थानों में किया जाएगा, जबकि डिग्रीधारी छात्रो का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के साथ–साथ विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में भी किया जा सकेगा। इनके पारिश्रमिक का भुगतान विभागीय संकल्प सं०–743(2), दिनांक–13.02.2019 के अनुसार अर्थात 82,000/–(बयासी हजार) रूपये प्रतिमाह के दर से किया जा सकेगा।"

5. विभागीय पत्रांक–1297(2), दिनांक–11.07.2019 में अंकित शेष बातें यथावत रहेंगी।

6. अनुरोध है कि विभागीय पत्रांक–1297(2), दिनांक–11.07.2019 द्वारा वांछित सूचना विहित–प्रपत्र में अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय ताकि नियोजन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

8-8-2019

(अनिल कुमार)

H:\08-08-19.docx-HRIS-(OSD)

ज्ञापांक–2/नि०–14/2019– 1494(2) पटना, दिनांक– 08/08/2019

प्रतिलिपिः राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविधलय से पी०जी० डिप्लोमा/डिग्री उत्तीर्ण सभी छात्रो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

8.8.2019

सरकार के संयुक्त सचिव।